

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1994 / 2023

फूलचंद खॉट

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. सहायक निदेशक, आयुर्वेद विभाग, संभाग उदयपुर।
4. जिला आयुर्वेद अधिकारी, बांसवाडा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.08.2023

आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद नर्स-कम्पाउंडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, छांजा, बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जहां पर किया गया है, वह गैर विनिर्दिष्ट क्षेत्र है जबकि अपीलार्थी विनिर्दिष्ट (टीएसपी) क्षेत्र में कार्यरत है, जो राजस्थान शेड्यूलड एरिया सर्बोडिनेट मिनिस्ट्रियल एवं क्लास फोर्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम, 2014 के तहत स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता, फिर भी आलोच्य आदेश उक्त नियमों के अवहेलना में जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध के दौरान किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। अपीलार्थी वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जिसमें

लगभग 2 वर्ष की सेवा शेष रही है फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कई मामलों में इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2023 / 03.07.2023 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आयुर्वेद नर्स-कम्पाउंडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, छांजा, बांसवाडा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की पूर्ति के क्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय, जोधपुर के न्यूनतम मानकों की पूर्ति हेतु आयुर्वेद महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं योग प्राकृतिक चिकित्सालय में निम्न नर्स-कम्पाउंडरों की ड्यूटी अग्रिम आदेश तक लगाई जाती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थायी रूप से न किया जाकर कुछ समय के लिए सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने हेतु जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो हमारे विनम्र मत में सही एवं नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि उसका स्थानान्तरण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य